



दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
18/2/20	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह वाद से सम्बन्धित क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने राजस्व कागजातों एवं स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया है कि अतिक्रमणकारी ने अवैध रूप से अनावाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। विपक्षी को सेक्सन - 3 के तहत नोटिस निर्गत किया गया था। विपक्षी अनुपस्थित रहे एवं अतिक्रमणकारी के द्वारा सम्बन्धित भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>अतिक्रमणकारी के पास कोई ऐसा साक्ष्य या कागजात नहीं है, जिसके आधार पर प्रमाणित हो कि मौजा- अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं०- 10, खाता नं० - 727 प्लॉट नं०- 2018, 2028 रकवा- 1.50 एकड़ लगभग भूमि पर अतिक्रमणकारी का स्वामित्व बनता है। अतिक्रमणकारी के द्वारा अवैध रूप से अनावाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है।</p> <p>यह भूमि अनावाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) भूमि है तथा बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत बी० पी० एल० ई० एक्ट की धारा 2 में परिभाषित लोक भूमि के अन्तर्गत है।</p> <p>अतः सरकारी भूमि के रक्षार्थ वर्णित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(2) के अन्तर्गत अतिक्रमणकारी (1) कोकलो प्रधान पिता शुशील प्रधान (2) करन प्रधान पिता केदार प्रधान (3) प्रहलाद प्रजापति पिता शालीग्राम प्रजापति (4) रविन्दर गौड़ पिता शुशील गौड़ सा० मानगो थाना उलिडीह मानगो जमशेदपुर का उच्छेदन आदेश देता हूँ। अतिक्रमणकारी को बी० पी० एल० ई० एक्ट के तहत नोटिस करें कि उक्त वर्णित भूमि पर से अतिक्रमण पन्द्रह दिनों के अन्दर हटा लें। अन्यथा बल पूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा एवं उस पर की गई खर्च अतिक्रमणकारी से वसूली जाएगी। विहित प्रपत्र में सूचना निर्गत करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> समाहर्ता बी० पी० एल० ई० एक्ट के अन्तर्गत सह अंचल अधिकारी मानगो</p> <p> समाहर्ता बी० पी० एल० ई० एक्ट के अन्तर्गत सह अंचल अधिकारी मानगो</p>	